न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2014/00388 (89/2014) 225 आरटीएक्ट

तुलछी पुत्री नत्थूराम पत्नी औमप्रकाश जाति ब्राम्हण निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र रामजीलाल } जाति ब्राम्हण निवासी मोमनबास हाल निवासी वार्ड नं. 11
2. मामकोरी पुत्री नत्थूराम } भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ।
4. उपपंजियक भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। –असल/रेस्पोडेण्ट
5. सुखदेयी पुत्री नत्थूराम पत्नी संतलाल जाति ब्राम्हण निवासी मुन्सरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। –तरतीबी रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.10.2014 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्रकरण संख्या 60/2014

श्री रामानन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 03.06.2019

1. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 5/प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर रोही मौजा मोमनबास के खसरा नं. 59 की 5.819 है. जिसमें अप्रार्थी नत्थू के नाम 1.012 है. एवं खसरा सं. 60 में 0.139 है. गैर मुमकिन ढाणी जो अप्रार्थी नत्थूराम के नाम से है एवं खसरा नं. 55 की 1.315 है. व खसरा नं. 211/61 की 0.291 है. कुल 1.606 है. बरानी खातेदारी भूमि जो अप्रार्थी नत्थू के नाम से खातेदारी है को रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरित नहीं करने का अनुतोष चाहा जो विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय से खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र. अपीलाण्ट ने प्रस्तुत किया था जिसमें प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के पिता को अपीलाण्ट के दादा से मिली होने से पैतृक भूमि है। नत्थूराम के तीन पुत्रियॉ ही वारिस हैं कोई पुत्र नहीं था। मामकौरी अपने पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की पूरी सम्पति हड़प करना चाहती है। उसके कहने से नत्थूराम ने 4 बीघा भूमि का बेचान कर दिया और शेष भूमि मामकौरी के प्रभाव में आकर नत्थूराम विक्रय करना चाहता है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पुत्रियों का पैतृक भूमि में अधिकार है। नत्थूराम अपने हिस्से के अलावा शेष भूमि विक्रय नहीं कर सकता। जहां तक तुलछी के शपथ–पत्र का प्रश्न है वह भादरा की भूमि से संबंधित है। हकत्याग का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है इसलिए अपील स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अपीलाण्ट का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान के पूर्वज रामजीलाल थे जिसका एक पुत्र नत्थूराम जी थे जिनके तीन पुत्रियॉ तुलछी, सुखदेई एवं मामकौरी है। तुलछी एवं सुखदेई ने अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से खारिज किया है भूमि का बेचान घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। प्रश्नगत भूमि नत्थूराम को उसके बड़े भाई कुरड़ाराम से जरिये हकत्याग प्राप्त हुई है इसलिए भूमि नत्थूराम की स्वअर्जित है। तुलछीदेवी ने अधीनस्थ न्यायालय में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसने नत्थूराम की भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं होने का कथन किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (5) में संशोधन 9.04.2005 से लागू हुआ है जिसके अनुसार 20.12.2004 से पूर्व के निर्णय/विभाजन आदि से भूमि का हस्तान्तरण हो गया है तो पुत्रियों का पैतृक सम्पति में भी कोई अधिकार नहीं रहेगा। तुलछी देवी का अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकारोक्ति है जिससे वह पाबंद है इसलिए अपीलाधीन निर्णय सही पारित किया गया होने से अपील खारिज किये जाने का कहा।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय से प्रश्नगत भूमि में प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट को कोई क्षति नहीं होने एवं प्रार्थीयान के द्वारा भूमि पैतृक होने तथा अपने हक हिस्सा की साबित करने में असफल रहने तथा अप्रार्थी को जरिये दस्तबरदारी अपने भाई कुरड़ाराम से भूमि प्राप्त होने के आधार पर अपीलाण्टा का आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष जमाबंदी रोही मौजा मोमनबास प्रस्तुत हुई है जिसमें रामजीलाल के नाम से भूमि दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 151 भी प्रस्तुत हुआ है जिसके कॉलम नं. 7 में नत्थूराम के पिता रामजीलाल का नाम दर्ज है एवं नत्थूराम द्वारा दिनांक 11.01.2012 को कुछ भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रपत्र विक्रय किया जाना भी प्रस्तुत बैयनामे से सिद्ध है। अपीलाण्टा नत्थूराम की पुत्री एवं स्वर्गीय रामजीलाल की पोत्री होने से इंकारी नहीं है जिसके द्वारा अपने अधिकारों की उद्घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है वह आज विचाराधीन है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपीलाण्ट के स्वत्व एवं पक्षकारान के मध्य तुलछी देवी के शपथ–पत्र और आपसी सहमति से क्या समझौता हुआ यह दावा में साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर मूल वाद में तैय होना है। इस दौरान अगर प्रश्नगत भूमि का किसी प्रकार से अन्तरण होता है तो अपीलाण्ट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलाण्टा तुलछीदेवी स्वीकार किया जाना उचित है एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

7. उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा का निर्णय दिनांक 09.10.2014 खारिज किया जाता है रेस्पोडेण्ट संख्या 1/अप्रार्थी नत्थूराम को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह तामैसला दावा रोही मौजा मोमनबास के खसरा नं. 59 की 5.819 है. जिसमें रेस्पोडेण्ट सं. 1/अप्रार्थी नत्थूराम के नाम 1.012 है0 भूमि है को एवं खसरा सं. 60 में 0.139 है0 गैर मुमकिन ढाणी. जो रेस्पोडेण्ट संख्या 1/अप्रार्थी नत्थूराम के नाम से है एवं खसरा नं. 55 की 1.315 है. व खसरा नं. 211/61 की 0.291 है. कुल 1.606 है. बरानी खातेदारी भूमि जो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 /अप्रार्थी नत्थूराम के नाम से खातेदारी है को रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)